न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 87/2024 G.C.M.S. No. 2024/365 दर्ज दिनांक : 09.09.2024

अपीलार्थिगण:

1. मृत नैनसिंह वल्द भीमसिंह, जाति राजपूत, निवासी ऐलानी, तहसील रानी के कायम मुकाम:–
   1/1 मृत जयसिंह वल्द नैनसिंह के कायम मुकाम:–
   1/1/1 पारसकंवर पत्नि जयसिंह, उम्र 61 वर्ष
   1/1/2 देवीसिंह वल्द नैनसिंह, उम्र 63 वर्ष
   1/1/3 हिम्मतसिंह वल्द नैनसिंह, उम्र 58 वर्ष
   1/1/4 नरपतसिंह वल्द नैनसिंह, उम्र 57 वर्ष, जातिगण राजपूत, निवासीगण ऐलानी, तहसील रानी, जिला पाली।
   1/5 सोनकंवर पुत्री नैनसिंह पत्नि जोरसिंह, जाति राजपूत, उम्र 74 वर्ष, निवासी गुडा केसरसिंह, तहसील रानी जिला पाली।
   1/6 प्रकाशकंवर पुत्री नैनसिंह पत्नि नरपतसिंह, जाति राजपूत, उम्र 60 वर्ष, निवासी गुडा रामसिंह, तहसील मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मंदिर मूर्ति श्री आईजी वाके बिलाड़ा, ठिकाना बिलाड़ा, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार रानी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2002 बअनवान नैनसिंह बनाम मंदिर श्री आईजी वाके बिलाड़ा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2012 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री दौलत मकवाणा, श्री श्रवणराम देवासी, श्री भरत उपाध्याय, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स।
2. श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित, श्री सुतीक्षणसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांक: 01.08.2025

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2002 बअनवान नैनसिंह बनाम मंदिर श्री आईजी वाके बिलाड़ा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2012 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

यह कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 92 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि मौजा सरहद ग्राम ऐलानी, तहसील देसूरी के पुराने खसरा नंबर 214 रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 199 रकबा 4.67 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने एव स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने बाबत् अनुतोष चाहा, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि दस्तावेजी साक्ष्य, सबूतों के विपरीत है। हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त भूमि के खातेदार श्री हिरसिंह वल्द पृथ्वीसिंह राजपूत के पुत्र सवाईसिंह, भीमसिंह वल्द नाथूसिंह राजपूत के पुत्र भोपालसिंह साकिन ऐलानी, नवला वल्द रता, कौम सीरवी सा. देह, बाणा वल्द बनेचन्द, कौम महाजन सा. गुडा को पूर्ण हरिटेज एवं स्थानांतरित अधिकार प्राप्त होने के पश्चात वादग्रस्त भूमि का खातेदार होने से इन खातेदारों द्वारा अपीलांटगण के पूर्वज नैनसिंह ने बएवज प्रतिफल 91/अक्षरे इकरानवे रूपये में जरिये विक्रय–विलेख संवत 2062 वैशाख सुद 13 के बेचान की गई एवं बेचानशुदा भूमि का मौके पर वास्तविक व भौतिक कब्जा सुपुर्द किया गया। इसके पश्चात वादग्रस्त भूमि लगातार अपीलांटगण के पूर्वज नैनसिंह के नाम खातेदार में दर्ज रही एवं उक्त भूमि का लगान भी नैनसिंह द्वारा अदा किया गया। वादग्रस्त भूमि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की कभी भी खुदकाश्त आराजी नहीं रही। गत भूप्रबंध कार्यवाही संवत 2041 से 2060 में भू–प्रबंध अधिकारियों ने राजस्व अभिलेख में वादग्रस्त भूमि के संबंध में खातेदारी इन्द्राज अपीलांटगण के पूर्वज नैनसिंह का नाम हटाकर बिना किसी आधार के मंदिर श्री आईजी वाके बिलाडा दर्ज कर दिया गया। जबकि भू–प्रबंध अधिकारियों को पूर्व इन्द्राज परिवर्तित करने का अधिकार नही था। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेशी दिनांक 20.08.2007 को वादी/अपीलांट के अधिवक्ता की ओर से No Instruction Plead किया गया। इसके पश्चात अपीलांटगण को न्यायालय के ओर से किसी प्रकार का अदालती नोटिस प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना दस्तावेजी साक्ष्य, सबूतों को दरकिनार करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। जैर अपील निर्णय व डिक्री की आड़ मे रेस्पोडेन्ट अपीलांट को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने पर आमादा है. अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो गये तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसके अतिरिक्त अभी हाल में दिनांक 28.08.2024 को रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के अधिवक्ता श्री अमित जी श्रीमाली द्वारा श्रीमान् सहायक कलेक्टर रानी के न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

अन्तर्गत आदेश 11, नियम 12, 14 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं आदेश 13, नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलार्थीगण दिनांक 30.08.2024 को देसूरी गये और अपने अधिवक्ता के जरिये तपास कर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री सहित सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतू नकल आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर उसी दिन अपीलार्थीगण को जैर अपील निर्णय एवं डिक्री सहित सम्पूर्ण पत्रावली की नकलें प्राप्त हुई, जिसे पढ़ने पर पहली बार दिनांक 30.08.2024 को जैर अपील निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। अतः जानकारी की दिनांक से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। अपीलार्थीगण को पूर्व वाद संख्या 06/2002 की जानकारी, ज्ञान एवं ध्यान नहीं था। इसके अलावा यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि–विरूद्ध एवं मनमानी होकर दूषित है। ऐसे निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध अपील करने में म्याद कोई बाधा नही है। जैर अपील निर्णय एवं डिक्री की जानकारी की दिनांक से अपील अन्दर मयाद पेश की जा रही हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस के साथ विलंबकाल माफ किये जाने के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किए:–

1. RRD 1998 Page 319
2. RRD 1998 Page 324
3. RBJ (9) 2002
4. RBJ (6) 1999
5. RBJ (23) 2016
6. RBJ 2016 (685)
7. RBJ (13) 2006
8. RBJ (11) 2004
9. AIR 1981 (S.C.) 1400
10. RBJ (21) 2014
11. RRT 2017 (2) 1104
12. 2018 (1) RRT 601

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, लिखित बहस व पत्रावली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

का अवलोकन किया तथा विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन व अवलोकन करते हुए प्रकरण के सम्यक न्याय–निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र दिनांक 07.02.2002 को प्रस्तुत किया। प्रतिवादी रेस्पोंडेंट द्वारा प्रकरण में प्रतिदावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादी के अधिवक्ता द्वारा नो इंस्ट्रक्शन प्लीड कर देने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.05.2012 को रेस्पोंडेंट का प्रतिदावा स्वीकार करते हुए अपीलांट का वादपत्र खारिज करते हुए अपीलाधीन एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित की गई। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा दिनांक 09.09.2024 को हस्तगत अपील विलंब के साथ पेश की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध, अनुचित व मनमाने तौर से पारित किए गए। जो पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, संबंधित विधि व प्रक्रियागत विधि व कानून के परे जाकर पारित किए गए। अपीलांट के पूर्वज श्री नैनसिंह द्वारा श्री जगदीशचन्द्र बोहरा को वकालतनामा देकर अधिवक्ता नियुक्त किया था। अधिवक्ता ने अपीलांट के पूर्वज वादी नैनसिंह को कोई नोटिस या सूचना दिए बिना अदालत में नो इंस्ट्रक्शन प्लीड किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी नैनसिंह को कोई नोटिस जारी किए बिना साक्ष्य वादी का अवसर बंद कर पत्रावली में तरमीम टाईटल व शहादत प्रतिवादी प्रस्तुत करने के आदेश दिए, जो विधिविरूद्ध है। हाल में दिनांक 28.08.2024 को रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 के अधिवक्ता श्री अमित जी श्रीमाली द्वारा श्रीमान सहायक कलक्टर रानी के न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 11, नियम 12, 14 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं आदेश 13, नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रस्तुत किया, जिस पर अपीलार्थीगण दिनांक 30.08.2024 को देसूरी गये और अपने अधिवक्ता के जरिये तपास कर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री सहित सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त करने हेतु नकल आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर उसी दिन अपीलार्थीगण को जैर अपील निर्णय एवं डिक्री सहित सम्पूर्ण पत्रावली की नकलें प्राप्त हुई, जिसे पढ़ने पर पहली बार दिनांक 30.08.2024 को जैर अपील निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। प्रकरण मैरिट पर बहुत मजबूत है। अपीलार्थीगण के पूर्वज नैनसिंह को नोटिस दिए बिना अधीनस्थ न्यायालय में हिदायत पैरवी नहीं होना जाहिर किया। जिस कारण वादी नैनसिंह की शहादत बंद कर एकपक्षीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय विधिविरूद्ध पारित किया गया। अतः विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट्स के पिता वादी नैनसिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया व पैरवी हेतु अधिवक्ता को नियुक्त किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी रेस्पोंडेंट द्वारा जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक कायम किए गए तथा पत्रावली साक्ष्य वादी में नियत की गई। इसी दरम्यान आदेशिका दिनांक 20.08.2007 के अंकन अनुसार अधिवक्ता वादी द्वारा नो इंस्ट्रक्शन प्लीड किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को कोई नोटिस या सूचना आदि प्रेषित नहीं की गई। जबकि अधिवक्ता द्वारा नो इंस्ट्रक्शन प्लीड किए जाने की दशा में यह आज्ञापक है कि न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकार को नोटिस तामील करवाकर इस संबंध में सूचित किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी की एकपक्षीय साक्ष्य व बहस पूर्ण कर एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादपत्र खारिज कर प्रतिवादी का प्रतिदावा स्वीकार किया गया।

4. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार जब अधीनस्थ न्यायालय में वादी के अधिवक्ता द्वारा नो इंस्ट्रक्शन प्लीड किया गया उस समय वादी की उम्र लगभग 82 वर्ष थीं तथा वादी न्यूरोफिजिशियन से जैर इलाजरत थें। जिनकी उपचार दस्तावेजात से पुष्टि होती हैं। तत्पश्चात वादी नैनसिंह की मृत्यु हो गई। हस्तगत प्रकरण के अपीलांट वादी नैनसिंह के विधिक वारिसान है।

5. हमारे विनम्र मत में हालांकि प्रकरण में दीर्घ विलंब विद्यमान है। लेकिन चूंकि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया। प्रकरण अपीलांट के हक व अधिकारों से संबंधित था, तथा प्रक्रियागत त्रुटियों के आधार पर गुणावगुण को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपीलांट्स के पिता वादी के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट्स को बिना सूचित किए अधीनस्थ न्यायालय में नो इंस्ट्रक्शन प्लीड किया जाना तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी पक्षकार को कोई नोटिस जारी किए बिना वादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही वादपत्र खारिज कर प्रतिवादपत्र स्वीकार किया जाना अभिलेख से स्पष्ट है। वादी 82 वर्ष से अधिक उम्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

का वरिष्ठ नागरिक था। जो तत्समय बीमार व जैर इलाजरत होना उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है। तत्पश्चात अपीलांट्स के पिता वादी नैनसिंह की मृत्यु होना भी निर्विवाद है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट्स जोकि मृतक वादी नैनसिंह के विधिक वारिसान है, को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की तत्समय से ही जानकारी होना संभव नहीं हैं। प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी, प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है। विलंबकाल अपीलांट्स की लापरवाही व उदासीनता के कारण घटित नहीं हुआ है तथा विलंब का कारण सद्भाविक, युक्तियुक्त व स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात संवत 2009 से 2028 खतौनी बंदोबस्त के अनुसार प्रतिवादी की खुदकाश्त आराजीयात नहीं थीं। बल्कि हिरसिंह वल्द पृथ्वीसिंह, भीमसिंह वल्द नाथूसिंह, नवला वल्द रता व बाणा वल्द बनेचंद का नाम बतौर काश्तकार दर्ज था। अपीलांट्स के पूर्वज द्वारा प्रस्तुत वादपत्र एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा व प्रतिवादपत्र के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विवाद्यक विरचित किए गए तथा साक्ष्य वादी के दौरान अधिवक्ता वादी द्वारा वादी को सूचित किए बिना प्रकरण में नो इंस्ट्रक्शन प्लीड किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को कोई नोटिस, सूचना जारी किए बिना वादी साक्ष्य बंद करते हुए प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही कर प्रतिवादी साक्ष्य लेकर प्रकरण एकपक्षीय रूप से निर्णित किया गया। अतः अपीलाधीन निर्णय व डिक्री आज्ञापक विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन किए बिना एवं वादी को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए बिना पारित की गई हैं। जिसकी पुष्टि संभव किया जाना संभव नहीं हैं।

7. प्रकरण में रेस्पोंडेंट प्रतिवादी द्वारा धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रतिवादपत्र प्रस्तुत किया गया। धारा 183 के प्रकरणों में परिसीमा अवधि निर्णायक व आज्ञापक होती हैं तथा प्रथम भूप्रबंध से अपीलांट के पूर्वजों का कब्जाकाश्त व उपयोग–उपभोग निर्विवाद है। लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त महत्वपूर्ण बिंदु पर कोई साक्ष्य लिए बिना तथा किसी प्रकार का विवेचन किए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। जिसकी विधिक दृष्टि से पुष्टि व समर्थन नहीं किया जा सकता।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

8. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक दृष्टि से पुष्टि योग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त करते हुए प्रकरण निर्देश के साथ विधिनुरूप पुनः निर्णयन के लिए अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देसूरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 06/2002 बअनवान नैनसिंह बनाम मंदिर श्री आईजी वाके बिलाड़ा वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 23.05.2012 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई एवं प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान करते हुए आदेश 20 नियम 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व संगत विधिक प्रावधानों का विवाद्यकवार पृथक–पृथक विवेचन व निर्णयन करते हुए प्रकरण विधिनुरूप पुनः निर्णित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्ता पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 04.09.2025 को असालतन/वकालतन वर्तमान सक्षम क्षेत्राधिकारिता प्राप्त न्यायालय सहायक कलक्टर रानी में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 01.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

01/08/2025

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली

Scanned with OKEN Scanner